अडानी वापस जाओ!

अडानी कम्पनी द्वारा बड़कागांव में किए जाने वाले कोयला खनन का ग्रामीणों द्वारा विरोध पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट।

हजारीबाग के बड़कागांव के गोंडलपुरा सहित पांच गांव के ग्रामीण अडानी एंटरप्राएजेज द्वारा किए जाने वाले कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राएजेज को गोंदलपुरा कोल ब्लॉक नवंबर 2020 में आवंटित किया गया। कोल ब्लॉक उत्तर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में हैं।

भाकपा माले के कार्यकर्ता आकाश रंजन एवम सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार के दो सदस्यीय टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों द्वारा अडानी कंपनी के विरोध के कारणों एवम कोयला खनन के प्रभावों को विस्तार से जानने का प्रयास किया। जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

खनन परियोजना से पांच गांव प्रभावित हो रहे हैं। गोंदलपुरा,गाली, बलोदर, हाहे और फूलांग। कोयला खनन के लिए कुल 1268.08 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी जिसमें 551.59 एकड़ भूमि रैयती, 542.75 एकड़ वन भूमि एवम 173.74 एकड़ गैर मजरुवा भूमि है। 5 गांव में से 3 गांव गोंडलपुरा में 284.63 एकड़ रैयती भूमि, गाली में 175.45 एकड़ भूमि, एवम बलोदर में 91.51 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहित की जाएगी। अन्य दो गांव हाहे एवम फुलांग में रैयती भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। माइनिंग से कुल 781 परिवार विस्थापित होंगे

कोयला खनन के लिए बहुफसलीय जमीन का किया जा रहा है अधिग्रहण

खनन के लिए 3 गांव की लगभग 550 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि उपजाऊ एवम बहुफसलीय है। खेती से धान, गेहूं, गन्ना, उरद इत्यादि फसल हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न तरह के साग सब्जी भी होते हैं। भू जल स्तर काफी अच्छा है। ग्रामीणों के अनुसार यहां 20 फीट पर पानी मिल जाता है। ग्रामीणों की माने तो यहां एक एकड़ में 20 से 25 क्विंटल धान की पैदावार हो जाती है।

खनन से खत्म हो जाएंगे जंगल, सूख जाएंगी नदियां

खनन परियोजना क्षेत्र पहाड़, जंगल एवम नदियों से घिरा हुआ है। खनन के लिए लगभग 540 एकड़ वन भूमि का उपयोग किया जाएगा। जंगल में महुआ, केंद, पीयार,आम,जामुन,कटहल के पेड़ एवम कई तरह के जड़ी बूटी एवम कंद मूल हैं।

जंगल कई नदियों का उदगम स्थल है। ग्राम बलोदर से गोबर्धा एवम गुडलगवा नदी, गाली गांव से कारीरेखा नदी एवम हाहे ग्राम से गतीकोचा नदी निकलती है।जो एक पर्यटक स्थल भी है। चारो नदी मिल कर ढोलकटवा नदी बनाती है जो आगे चल के बदमाही नदी बनती है जो दामोदर नदी से मिलती है। खनन के कारण इन नदियों के उदगम स्थल नष्ट हो जाएंगे नदियां सूख जाएंगी।

जंगल में हाथी, सुअर,भालू, मोर, खरगोश इत्यादि जानवर हैं। जंगल हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है ।ग्रामीणों एवम जानवरों के बीच किसी तरह की टकराहट नहीं है। जंगल नष्ट हो जाने के कारण ग्रामीणों एवम जानवरों के बीच टकराहट बढ़ेगी।

खनन से आजीविका एवम रोजगार हो जाएंगे खत्म

खनन परियोजना से विस्थापित होने वाले लगभग सभी परिवार आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। धान की प्रति एकड़ पैदावार अच्छी होने के कारण ज्यादातर परिवार धान बेचने में सक्षम हैं। धान के बाद गन्ना इस क्षेत्र का मुख्य फसल है। गन्ना से

बनने वाला गुड़ आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। ग्राम बलोदर की सुमित्रा देवी ने बतलाया कि गन्ना से गुड़ बना कर उनकी 2 लाख तक की पारिवारिक आय हो जाती है। किसान विनय कुमार ने बतलाया कि ज्यादातर ग्रामीण कृषि से 2 से ढाई लाख कमा लेते हैं। ग्राम बलोदर की बेसहारा अकेली महिला सुनीता देवी ने बतलाया कि अकेली महिला होते हुए भी उन्होंने इस साल 20 हजार का गुड़ ,30 हजार का धान ,10 हजार का महुवा बेचा एवम 10 हजार का प्याज बेचा। कृषि के अलावा जंगल आजीविका का मुख्य आधार है। जंगल से महुआ, केंदू पत्ता, एवम सागवान एवम मोहलाम के पत्तों से बना दोना पत्तल बेच कर भी ग्रामीण अपनी आजीविका चलाते हैं। लगभग सारे परिवार 10 से 15 क्विंटल महुआ बेच लेते हैं।

क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। पलायन न के बराबर है। क्षेत्र में लगभग 7 ईंट भट्ठा हैं जिसमें न सिर्फ स्थानीय बल्कि बाहर के लोगों को भी रोजगार मिलता है।

खनन परियोजना का ग्रामीणों द्वारा विरोध:

खनन क्षेत्र में ग्रामीण, जुलाई 2022 से लगातार ग्राम सभा एवम आम सभा को रद्द करवा रहे हैं । सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक NABRD consulatancy private limited द्वारा खनन के सामाजिक प्रभाव का आकलन (SIA) किया गया।

खनन से प्रभावित होने वाले ग्राम बलोदर में SIA के निष्कर्षों को बतलाने के लिए 15/7/2022 को आयोजित ग्राम सभा लोक सुनवाई को ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। बलोदर गांव में प्रशासन द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के विरोध के बाद अन्य गांवों में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा को उपायुक्त के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया

SIA रिपोर्ट को ग्राम सभा के पटल पर रखने के लिए 1 अक्टूबर 2022 को पुनः प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई । 2 अक्टूबर 2022 को गोंदलपुरा पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में प्रभावित 5 गांवों ग्रामीणों ने ग्राम सभा की जिसमें सभी रैयतों ने किसी भी

शर्त पर अडानी एंटरप्राईजेज को जमीन नहीं देने का निर्णय लिया एवम लिखित निर्णय उपायुक्त को सौंपते हुए उपायुक्त के आदेश के पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा के खिलाफ आपत्ति दर्ज किया।

अडानी कम्पनी के कर्मचारियों का गांव में प्रवेश पर रोक:

ग्रामीणों का कहना है कि लगातार विरोध के बावजूद कम्पनी के लोग गांव में विभिन्न बहानों से गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं जिस से गांव की शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है । ग्रामीणों ने अडानी एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों को गांव में घुसने से रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रभावित सभी गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, को पत्र लिख कर आग्रह किया है की कंपनी के कर्मचारियों को गांव में प्रवेश से रोका जाए।

अडानी कम्पनी के इशारे पर काम कर रही उपायुक्त एवम JSLPS:

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन एवम JSLPS जैसी सरकारी एजेंसियां अडानी कंपनी के इशारे पर काम कर रही हैं। गोंदलपूरा पंचायत की वार्ड सदस्य यशोदा देवी ने बतलाया कि डीसी एवम अन्य अधिकारियों की ओर से अडानी कम्पनी के पक्ष में बोलने का दबाव है। यशोदा देवी JSLPS में काम कर रही थी अडानी कम्पनी का समर्थन नहीं करने के कारण उन्हें हटा दिया गया। उन्हें प्रलोभन एवम धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि JSLPS अडानी का समर्थन कर रहा है इसलिए संस्था का काम पूरे गांव में बंद कर दिया गया है। JSLPS से जुड़े लोग जबर्दस्ती लोन देने आ रहे हैं लेकिन ग्रामीण लोन नहीं ले रहे हैं।

उपायुक्त के आदेश के बाद पैक्स ने नहीं खरीदा किसानों का धान :

गोंदलपुरा के पंचायत समिति सदस्य देवनाथ महतो ने बतलाया कि इस वर्ष पानी की कमी के बावजूद धान की फसल अच्छी हुई लेकिन डीसी के आदेश से गोंदलपुरा पैक्स केंद्र में धान नहीं खरीदा गया। क्योंकि ग्रामीण अडानी कम्पनी का विरोध कर रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को औने पौने दाम पर बिचौलियों को धान बेचना पड़ा.

ग्रामीणों के खिलाफ प्रशासन ने किया केस:

खनन परियोजना के विरोध के कारण लगभग 120 पुरुष महिलाओं के खिलाफ CrPC की धारा 107 के तहत केस किया गया है। कुछ लोगों को जिला बदर का भी नोटिस भेजा गया है।

खनन के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चित कालीन धरना: जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे

अडानी कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन के खिलाफ ग्रामीण 13 अप्रैल से गांव के बाहर अनिश्चित कालीन धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अडानी को भगाने तक धरना चलेगा। उन्हे जमीन के बदले मुआवजा एवम नौकरी नहीं चाहिए। वे जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे गांव के बाहर धरना दे रहे हैं क्योंकि अगर गोली चले तो चीरू गोलीकांड की तरह बच्चों को गोली न लगे।

कोल माइनिंग के लिए वन भूमि के उपयोग का ग्रामीणों द्वारा विरोध

ग्रामीण न सिर्फ अपनी रैयती जमीन देने का विरोध कर रहे हैं बल्कि उन्होंने वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए उपयोग का भी विरोध किया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग को पत्र भी लिखा हैं

सार्वजनिक भूमि के उपयोग का ग्रामीणों द्वारा विरोध:

ग्रामीणों ने सार्वजानिक उपयोग की भूमि नदी,आम रास्ता, आहर, पोखर तालाब,पोखर,देव स्थल,तालाब,मंदिर विद्यालय एवम सरना स्थल को कम्पनी को देने का विरोध किया है।

सामाजिक आकलन प्रभाव (SIA) रिपोर्ट के तथ्य गलत:

सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक NABRD consulatancy private limited द्वारा खनन के सामाजिक प्रभाव का आकलन (SIA) के लिए सर्वे किया गया। सर्वे का ग्रामीणों ने विरोध किया। सर्वे के कई तथ्य झूठे हैं। जो इस प्रकार हैं:

a. SIA रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए किसी भी तरह के बहुफसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है जिसका प्रमाण पत्र कृषि विभाग ने दिया है। जबकि यह सरासर झूठ है अधिग्रहित की जाने वाली जमीन बहुफसलीय है। यहां सालों भर खेती होती है।

b. रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित परिवार जमीन के बदले दी जाने वाली मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं हैं जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर रैयत किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देना चाहते हैं।

c. SIA रिपोर्ट के अनुसार कम कृषि उत्पादकता के कारण लोगों का कृषि से जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर परिवारों के लिए कृषि से जीवन निर्वाह करना मुश्किल नहीं है। कृषि से आमदनी अच्छी है कृषि उत्पादकता अच्छी है एक एकड़ में 20 से 25 क्विंटल धान का उत्पादन होता है। धान के अलावा गुड़ बेचकर भी लोगों की आमदनी हो जाती है

d. SIA रिपोर्ट में जबरन गांव में स्वास्थ की स्थिति खराब बतलाने का प्रयास किया गया है। गांव में जल संरक्षण के लिए बनाए गए पोखरों को SIA रिपोर्ट में हास्यास्पद रूप से जल जमाव के रूप में प्रस्तूत कर तलाब पोखरों को जल से पैदा होने वाले रोगों का कारण बतलाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया,पेचिस, त्वचा रोग की सामान्य समस्याएं हैं। जबकि गांव में स्वास्थ की स्थिति अच्छी है। ग्रामीण चिकित्सक दीपक कुमार के अनुसार बतलाया कि गांव का पर्यावरण शुद्ध होने के कारण गांव में लोगों

को स्वास्थ संबंधित कोई गंभीर बीमारी नहीं है । बिमारी के नाम पर सिर्फ मौसमी बुखार होता हैं।

निष्कर्ष:

गोंदलपुरा खनन परियोजना से पांच गांव के जन,जल,जंगल,जमीन,जानवर सभी तबाह हो जाएंगे। क्षेत्र के पर्यावरण पर भयानक असर होगा। न सिर्फ 5 गांव तबाह होंगे बल्कि दामोदर नदी की सहायक नदियों का स्त्रोत सूख जाने के कारण आस पास के क्षेत्र के जमीन भी बंजर हो जायेंगे। चूंकि ग्रामीण किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देना चाहते हैं अतः बहुत संभव है कि प्रशासन द्वारा बल का प्रयोग किया जाए जिसके कारण 5 साल पहले घटित चिरुडीह गोलीकांड जैसी घटना दुबारा घट सकती है।